रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-73 REGISTERED No. D. (D.N.)-73

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 36] नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 6, 1986/भाद्र 15, 1908
No. 36] NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 6, 1986/BHADRA 15, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण नियम जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उपनियम आदि सम्मिलित हैं।

General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

विधि और न्याय मंत्रालय
(विधि कार्य विभाग)

नई दिल्ली, 25 जुलाई, 1986

सा.का.नि. . . . 688:—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और विधि और न्याय मंत्रालय (विधि कार्य विभाग) पुस्तकालयाध्यक्ष (श्रेणी 2) और पुस्तकालयाध्यक्ष (श्रेणी 3) भर्ती नियम, 1979 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण के पूर्व किया गया या करने से लोप किया गया है, विधिकार्य विधाग, विधि और न्याय मंत्रालय में पुस्तकालयाध्यक्ष (श्रेणी 2) और पुस्तकालयाध्यक्ष (श्रेणी 3) के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ: (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम विधि और न्याय मंत्रालय (विधि कार्य विभाग) पुस्तकालयाध्यक्ष (श्रेणी 2) और पुस्तकालयाध्यक्ष (श्रेणी 3) भर्ती नियम, 1986 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान: पुस्तकालाध्यक्ष (श्रेणी 2) और पुस्तकालयाध्यक्ष (श्रेणी 3) पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उससे संबंधित वेतनमान वे होंगे जो क्रमशः इससे अनुसूची। और अनुसूची 2 के स्तम्भ 2 से 4 में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं आदि:
उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उक्त पदों से संबंधित अन्य बाते वे होगी जो संबंधित अनुसूची के स्तम्भ 5 से 14 में विनिर्दिष्ट है।

4. निरर्हता—वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

662 GI/86—1

(b) in Schedule III, serial numbers 2 to 6 shall be re-numbered as serial numbers 3 to 7 and before serial numbers 3 to 7 as so renumbered, the following serial numbers and entries shall be inserted, namely :—

S. No.	Grade	Method of recruitment	Field of selection and the maximum qualifying service for promotion
"1.	Engineer-in-Chief	By promotion	Officers in Senior Administrative Grade Level-I, with 2 years combined regular service in Senior Administrative Grade Level-I, and Senior Administrative Grade Level-II.
2.	Senior Administrative Grade Level-I	By promotion	Officers in Senior Administrative Grade Level-II with 2 years regular service in the grade, failing which officers of Senior Administrative Grade Level-II with a total service of not less than 16 years in grade 'A' posts."

(d) in Schedule IV, after serial number I and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be inserted, namely :—

S. No.	Name of the post	Gr. 'A' DPC (for considering promotion)	Gr. 'A' DPC (for considering confirmation)
"1A.	Senior Administrative Grade Level-I	1. Chairman/Member Union Public Service Commission — Chairman 2. Secretary, Ministry of Information & Broadcasting — Member 3. Director General, All India Radio — Member 4. Director General, Doordarshan — Member	1. Secretary, Ministry of Information & Broadcasting — Chairman 2. Joint Secretary, Ministry of Information Broadcasting — Member 3. Director General, All India Radio — Member 4 Director General, Doordarshan — Member"

[No. 301/14/85-B(D)]
M. K. RAMASWAMY, Director AIR

Notes : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3(i), dated 5-11-81 vide Government notification, Ministry of Information & Broadcasting, No. 301/1/81-B(D)[GSR 578 (E)], dated 4-11-81, and was subsequently amended by,—

(i) Government notification, No. 301/1/81-B(D)[GSR 573 (E)]dated 13-9-82 published in the Gazette of India Extraordinary, Part II, Section 3(i).

नई दिल्ली, 18 अगस्त, 1986

सा.का.नि. 727.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आकाशवाणी (समूह "ग" पद) भर्ती नियम 1979 का और संशोधन के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

(1) (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आकाशवाणी (समूह "ग" पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 1986 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. आकाशवाणी (समूह "ग" पद) भर्ती नियम, 1979 की अनुसूची में, इंजीनियरी सहायक के पद से संबंधित क्रम संख्या 1 के सामने की प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

अनुसूची

1	2	3	4	5	6	7
1.	इंजीनियरी सहायक	2088* (1986) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित अननुसचिवीय	425-15-500-द.रो.-15-560-20-640-द.रो.-20-700-25-750 रु.	प्रवरण	18 से 25 वर्ष। (केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 35 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) टिप्पण : 1. आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख, भारत में अभ्यर्थियों से (उनसे भिन्न जो अंडमान और निकोबार द्वीप तथा लक्षद्वीप में हैं) आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। 2. रोजगार कार्यालय के माध्यम से की जाने वाली भर्ती की दशा में, आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालय से नाम भेजने के लिए कहा गया है।

8	9	10	11	12
आवश्यक : भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त रेडियो/दूरसंचार/विद्युत/इलैक्ट्रोनिकी/विद्युत संचार इंजीनियरी में 3 वर्षीय डिप्लोमा। या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एक विषय के रूप में भौतिक विज्ञान के साथ डिग्री; या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विद्युत इंजीनियरी में डिग्री या समतुल्य डिग्री, भारतीय फिल्म और दूरदर्शन संस्थान, पुणे द्वारा प्रदान किया गया ध्वनि अंकन और ध्वनि इंजीनियरी में डिप्लोमा। वांछनीय : बेतार या रेडियो इंजीनियरी का ज्ञान।	नहीं	2 वर्ष	80 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा। 10 प्रतिशत ज्येष्ठता-सह-उपयुक्तता पर प्रोन्नति द्वारा। 10 प्रतिशत सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से।	प्रोन्नति : आकाशवाणी/दूरदर्शन के ऐसे ज्येष्ठ तकनीकी, जिन्होंने उस श्रेणी में या उच्चतर श्रेणी में, नियमित आधार पर उस श्रेणी में नियुक्ति के पश्चात् 5 वर्ष की सेवा की है। सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा : आकाशवाणी/दूरदर्शन के ऐसे ज्येष्ठ तकनीकी, जिन्होंने उस पद पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में 5 वर्ष सेवा की है या जिन्होंने तकनीकी और ज्येष्ठ तकनीकी की श्रेणियों में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् कुल मिलाकर 8 वर्ष सेवा की है। यदि अपेक्षित अवधि की सेवा वाले ज्येष्ठ तकनीकी उपलब्ध नहीं है, तो ऐसे मास्ट तकनीकी/डीजल तकनीकी, जिन्होंने उस पद पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में 8 वर्ष की सेवा की है।

13	14
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति, जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :— (1) प्रशासन से संबद्ध निदेशक (इंजीनियरी)—अध्यक्ष (2) प्रशासन से संबद्ध आकाशवाणी/दूरदर्शन से उपनिदेशक (इंजीनियरी) के स्तर का एक इंजीनियरी अधिकारी—सदस्य (3) अन्य विभाग का समूह "ख" इंजीनियरी, जिसके पास अपेक्षित तकनीकी आधार है—सदस्य	लागू नहीं होता

[सं. 310/10/82-बी (डी)]

पाद टिप्पण : आकाशवाणी (वर्ग 3 पद) भर्ती नियम, 1964 सूचना और प्रसारण मंत्रालय की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 1776 तारीख 30 नवम्बर, 1964 द्वारा प्रकाशित किए गए थे। बाद में उन्हें भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय की अधिसूचना संख्या 704/11/77-बी (डी), तारीख 10 मई, 1979 के अधीन सा.का.नि. सं. 762 तारीख 2 जून, 1979 के द्वारा आंशिक रूप से अधिक्रांत और भारत सरकार के सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय की अधिसूचना संख्या 704/11/77-बी (डी) तारीख 7-2-81 और सं. 310/10/62-बी (डी) तारीख 7 मई, 1985 के अधीन संशोधित किया गया था।

New Delhi, the 18th August, 1986

G.S.R. 727.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the All India Radio (Group C posts) Recruitment Rules, 1979, namely:—

1. (1) These rules may be called the All India Radio (Group C posts) Recruitment (Amendment) Rules, 1986.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the All India Radio (Group C posts) Recruitment Rules, 1979 against serial number 1, relating to the post of Engineering Assistant for the entries, the following entries shall be substituted.

1	2	3	4	5	6	7
1.	Engineering Assistant	2088* (1986) *Subject to variation dependent on work-load	General Central Service, Group C, non-Gazetted, non-ministerial	Rs. 425-15-500-EB-15-560-20-640-EB-20-700-25-750	Non selection	18 to 25 years (Relaxable upto the age of 35 years for Government servants in accordance with the instructions issued by the Central Government from time to time in this regard). Note I : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (other than those in the Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep). Note 2 : In the case of recruitment made through the Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the last date upto which the Employment Exchange is asked to submit the names.

8	9	10	11
Essential · Three years Diploma in Radio/Telecommunications/Electrical/Electronics/Electrical Communication Engineering recognised by the Government of India; OR	No.	Two years	80 per cent by direct recruitment. 10 per cent cent by promotion on seniority-cum-fitness. 10 per cent through

8	9	10	11
Degree with physics as one of the subjects from a recognised University; OR Degree in Electrical Engineering from a recognised University or equivalent degree; OR Diploma in Sound Recording and Sound Engineering awarded by the Film and T.V. Institute of India, Pune. Desirable : Knowledge of Wireless or Radio Engineering.			limited departmental competitive examination.

12	13	14
Promotion Senior Technicians in All India Radio/Doordarshan with 5 years' service in the grade or in a higher grade, rendered after appointment to the grade on a regular basis. Limited Departmental Competitive Examination : Senior Technicians in All India Radio/Doordarshan with 5 years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis, or with 8 years' total service in the grade of Technician and Senior Technician rendered after appointment to these grades on a regular basis. If Senior Technicians with requisite length of service are not available, then Mast Technicians/Diesel Technicians who have put in 8 years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis. Footnote : All India Radio (Class III posts) Recruitment Rules 1964 were promulgatedvide Ministry of Information & Broadcasting Notification No. GSR 1776 dated 30th Nov., 1964. Subsequently, superseded partially under the Notification of the Govt. of India in the Ministry of I & B No. 704/11/77-B(D), dated 10th May, 1979 with GSR No. 76 , dated 2nd June, 1979, and amended under the notification of the Govt. of India in the Ministry of I & B No. 704/11/77-B(D), dt. 7-2-81 and No. 310/10/82-B(D), dt. 7th May, 1985.	Group 'C' Departmental Promotion Committee consisting of— (i) Director (Engineering) dealing with administration — Chairman (ii) An Engineering officer of the level of Deputy Director (Engineering) from All India Radio/Doordarshan dealing with administration—Member (iii) A Group 'A' Engineering Officer of another Department having requisite technical background — Member	Not applicable.

[No. 310/10/82-B(D)]

नई दिल्ली, 19 अगस्त, 1986

सा.का.नि. 728—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आकाशवाणी (समूह "ख" राजपत्रित पद) भर्ती नियम, 1985 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आकाशवाणी (समूह "ख" राजपत्रित पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 1986 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. आकाशवाणी (समूह "ख" राजपत्रित पद) भर्ती नियम, 1985 की अनुसूची के स्तंभ 8 में "(3 वर्षीय पाठ्यक्रम) कोष्ठकों, अंक और शब्दों के स्थान पर "(2 वर्षीय पाठ्यक्रम)" कोष्ठक, अंक और शब्द रखे जाएंगे।

टिप्पण : मूल नियम, भारत के राजपत्र भाग 2, खंड 3(i) तारीख 6-3-62 में सूचना और प्रसारण मंत्रालय की सरकारी अधिसूचना सं. सा. का. नि. 347, तारीख 6-3-62 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् निम्नलिखित द्वारा संशोधित किए गए थे :—

(1) भारत के राजपत्र, भाग 2, खंड 3(i) में प्रकाशित सरकारी अधिसूचना सं. 301/4/83—बी (डी) ए II तारीख 8-8-85।

[सं. 301/4/83—बी(डी)-ए II]

जे० बी० भाटिया, अवर सचिव